

लक्षद्वीप का राजपत्र The Lakshadweep Bazette

EXTRAORDINARY

VOL. LVIII No.14 WEDNESDAY, 15th JUNE 2022 / 25th JYESTHA, 1944 (SAKA)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

<u>Dated :15thJune. 2022</u> Jyaistha25, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

No. 479/2022:-Whereas, the term of office of Shri Ram Nath Kovind, President of India, is due to expire, in terms of clause (1) of Article 56 of the Constitution, on the 24th Day of July, 2022; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 62 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the vacancy in the office of the President of India that the election will be completed at such time as will enable the President thereby elected to enter upon his/her office on the 25th Day of July, 2022;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

(A) calls upon the Electoral College, referred to in Article 54 of the Constitution, to elect a person to fill the above vacancy in the Office of President of India before the expiration of the term of the incumbent President, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and

- (B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints
 - a) the 29th June, 2022 (Wednesday), as the last date for making nominations;
 - b) the30th June, 2022 (Thursday), as the date for scrutiny of the nominations;
 - c) the02nd July, 2022 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
 - d) the 18th July, 2022 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,

(NARENDRA N. BUTOLIA) SR. PRINCIPAL SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated 15th June, 2022 Jyaistha25, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

No. 479/2022 (1):-In pursuance of Rule 7 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby-

- fixes each of the places specified in column (2) of the Table below to be a (a) place of polling at the Presidential Election to be held in accordance with its notification No. 479/2022, dated 15th June, 2022; and
- (b) specifies, with respect to each such place of polling, the group of electors specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, who will be entitled to vote at that place, subject to the exceptions mentioned in the Note appended to the said Table:

SI.	Place of Polling	Group of electors who will be
No.		entitled to vote at the place
(1)	(2)	(3)
1.	Room No. 63, 1 st Floor, Parliament	Elected Members of both Houses of
	House, New Delhi-110001.	Parliament.
2.	Committee Hall No. 201, First Floor,	Elected Members of the Andhra
	Assembly Building, Velagapudi, Guntur	Pradesh Legislative Assembly
	District, Andhra Pradesh.	
3.	NokmeyNamati Hall, Arunachal	Elected Members of the Arunachal
	Pradesh Legislative Assembly	Pradesh Legislative Assembly
	Secretariat, Itanagar.	
4.	Central Hall of Assam Legislative	Elected Members of the Assam
	Assembly Secretariat Building, Dispur	Legislative Assembly
5.	Old Reading Room at First Floor of	Elected Members of the Bihar
	Bihar Legislative Assembly, Main	Legislative Assembly
	Building.	
6.	Committee Room No. 2, Chhattisgarh	Elected Members of the Chhattisgarh
	Legislative Assembly Secretariat,	Legislative Assembly
	Raipur.	
7.	Room No. 015, Ground Floor, VIP Block,	Elected Members of the Goa Legislative
	Goa Assembly Complex, Porvorim.	Assembly

TABLE

8.	Banquet Hall, Fourth Floor, Viththalbhai	Elected Members of the Gujarat
0.	Patel Bhavan, Gujarat Legislative	Legislative Assembly
	Assembly, Gandhinagar	
9.	Old Committee Room, Haryana Vidhan	Elected Members of the Haryana
	Sabha Secretariat, Vidhan Bhawan,	Legislative Assembly
	Chandigarh.	
10.	"Dr. Y. S. Parmar Library Hall, Vidhan	Elected Members of the Himachal
	Sabha", Shimla.	Pradesh Legislative Assembly
11.	Tribunal Room, Room NoGW-042,	Elected Members of the Jharkhand
	Jharkhand Legislative Assembly,	Legislative Assembly
	Ranchi.	
12.	Room No. 106, 1 st Floor,	Elected Members of the Karnataka
	VidhanaSoudha, Bengaluru-560233.	Legislative Assembly
13.	Room No. 740(Parliamentary Study	Elected Members of the Kerala
	Hall), 3 rd Floor, Kerala Legislative	Legislative Assembly
	Assembly Building, Legislature	
	Complex, Vikas Bhavan P.O,	
	Thiruvananthapuram-695033.	
14.	Committee Room No. 2, M-02 (Ground	Elected Members of the Madhya
	Floor), Indira Gandhi Vidhan Bhawan,	Pradesh Legislative Assembly
	Arera Hills, Bhopal (M.P.).	
15.	Central Hall, 4th Floor, Vidhan Bhavan,	Elected Members of the Maharashtra
	Backbay Reclamation, Mumbai-400032.	Legislative Assembly
16.	Committee Room, Manipur Legislative	Elected Members of the Manipur
	Assembly, Chingmeirong, Imphal,	Legislative Assembly
1.7	Manipur – 795001.	
17.	Annexe Hall, Meghalaya Legislative	Elected Members of the Meghalaya
10	Assembly, Rilbong, Shillong.	Legislative Assembly
18.	Committee Room, Mizoram Legislative	Elected Members of the Mizoram
	Assembly, Main Building (2 nd Floor),	Legislative Assembly
19.	Treasury Square, Aizawl. Conference Hall, Annexe Room of the	Elected Members of the Nagaland
19.	Assembly Secretariat, Nagaland	Legislative Assembly
20.	Room No. 54 (1 st Floor), Odisha	Elected Members of the Odisha
20.	Legislative Assembly Buildings,	Legislative Assembly
	Bhubaneswar.	Legislative risseniory
21.	'Committee Room A', Punjab Vidhan	Elected Members of the Punjab
	Sabha Secretariat, Vidhan Bhawan,	Legislative Assembly
	Chandigarh.	
22.	Room No. 751, Rajasthan Legislative	Elected Members of the Rajasthan
	Assembly Secretariat, Jaipur.	Legislative Assembly
	с у	<u> </u>

23.	Conference Room, Sikkim Legislative	Elected Members of the Sikkim
	Assembly Secretariat.	Legislative Assembly
24.	"The Committee Room", Ground Floor,	Elected Members of the Tamil Nadu
	Main Secretariat Building, Fort St.	Legislative Assembly
	George, Chennai-600009.	
25.	Committee Hall No. 1, Assembly	Elected Members of the Telangana
	Buildings, Public Gardens, Hyderabad,	Legislative Assembly
	Telangana	
26.	Assembly Lobby, Tripura Legislative	Elected Members of the Tripura
	Assembly, Agartala.	Legislative Assembly
27.	Room No. 321, Uttarakhand Legislative	Elected Members of the Uttarakhand
	Assembly, Dehradun.	Legislative Assembly
28.	"Tilak Hall", Vidhan Bhawan, Lucknow.	Elected Members of the Uttar Pradesh
		Legislative Assembly
29.	Chamber of the West Bengal Legislative	Elected Members of the West Bengal
	Assembly at 'Assembly House', Kolkata.	Legislative Assembly
30.	Committee Room No. 01 (Room No. 37),	Elected Members of the NCT of Delhi
	Delhi Legislative Assembly, Old	Legislative Assembly
	Secretariat, Delhi-110054.	
31.	The Conference Hall, 4th Floor, Phase-II	Elected Members of the Puducherry
	Building, Legislative Assembly Complex,	Legislative Assembly
	No. 4, Victor SimonelStreet,	
	Puducherry-605001	

<u>NOTE</u>

Normally, members of Parliament are expected to cast their votes at New Delhi and members of all respective State Legislative Assemblies at the concerned place of poll. However, on account of any exigency for special circumstances, the Members of Parliament can vote in any of the places of polling in any State/Delhi/Puducherry. Similarly, any MLA desirous of voting at Parliament, New Delhi or at any other Legislative Assembliesinstead of his/her concerned place of poll, can also do so. For this purpose, such electors shall have to apply to the Election Commission in the prescribed format [available with the Returning Officer and Assistant Returning Officers and also on the Commission's website (www.eci.gov.in)] so as to reach the Commission at least 10 days before the date of poll.

By Order,

(NARENDRA N. BUTOLIA) SR.PRINCIPALSECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

<u>Dated 15th June, 2022</u> Jyaistha25, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

479/2022 (2):-In pursuance of clause (b) of Rule 7 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby specifies the hours from 10:00A.M. to 5:00P.M., both inclusive, to be the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at each place of polling fixed by the Commission in its notification No. 479/2022 (1), dated the 15th June, 2022, for the Presidential Election, referred to therein.

By Order,

(NARENDRA N. BUTOLIA) SR. PRINCIPAL SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

दिनांक: 15 जून, 2022 ज्येष्ठ 25, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं. 479/2022:-यत:भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि की समाप्ति संविधान के अनुच्छेद 56 के खण्ड (1) के अनुसार तारीख 24 जुलाई, 2022को होने वाली है; और

यत: संविधान के अनुच्छेद 62 के खण्ड (1) के अनुसार, उनकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व पदधारी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित है; और

यत: राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन के लिए तारीख इस तरह नियत की जानी अपेक्षित है कि यह निर्वाचन समय के अन्दर पूरा हो जाए ताकि इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार वर्ष 2022 की जुलाई के पच्चीसवें दिन को ग्रहण कर सके।

अत: अब, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा: –

- अ) संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, वर्तमान राष्ट्रपति की अवधि खत्म होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और
- आ) उक्त अधिनियम् की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है:

(क) नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	: 29 जून, 2022(बुधवार)
(ख) नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	: 30 जून, 2022(गुरुवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	: 02 जुलाई, 2022(शनिवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होग	ा : 18 जुलाई, 2022(सोमवार)

आदेश से,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया) (वरिष्ठ प्रधान सचिव)

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

<u>दिनांक: 15 जून, 2022</u> ज्येष्ठ 25, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं. 479/2022(2) :- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 7 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक का समय,दोनों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए अपनी अधिसूचना संख्या 479/2022(1), तारीख 15 जून, 2022में नियत, प्रत्येक स्थान पर, मतदान होगा।

आदेश से,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया) (वरिष्ठ प्रधान सचिव)

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

<u>दिनांक: 15 जून, 2022</u> ज्येष्ठ 25, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं. 479/2022(1) : राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 7 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदुद्वारा-

- (क) नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विर्निदिष्ट स्थानों
- (ख) में से प्रत्येक को अपनी अधिसूचना संख्या 479/2022, तारीख 15 जून, 2022 के अनुसार होने वाले राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान का स्थान नियत करता है; और
- (ग) मतदान के ऐसे प्रत्येक स्थान के बारे में, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, निर्वाचकों के उस समूह को विर्निदिष्ट करता है जो उक्त सारणी से संलग्न टिप्पणी में वर्णित अपवादों के अध्यधीन उस स्थान पर मतदान करने का हकदार होगा;

क्र.	मतदान का स्थान	मतदाताओं का समूह जो उस स्थान पर
सं.		मतदान करने का हकदार होगा
(1)	(2)	(3)
1.	कमरा सं. 63, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली-	संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
	110 001	
2.	समिति हॉल सं. 201, पहली मंजिल, विधान सभा	आंध्र प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	भवन, वेलागपुड़ी, गुन्टुर जिला, आंध्र प्रदेश.	
3.	नोकमे नमती हॉल, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा	अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित
	सचिवालय, ईटानगर	सदस्य
4.	असम विधान सभा सचिवालय भवन का केंद्रीय कक्ष,	असम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	दिसपुर	
5.	बिहार विधान सभा की पहली मंजिल का पुराना	बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	वाचनालय, मुख्य भवन	
6.	समिति कक्ष सं. 2, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,	छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	रायपुर	
7.	कमरा सं. 015, भूतल, वीआईपी ब्लॉक, गोवा	गोवा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	विधानसभा परिसर, पोरवोरिम	
8.	बैंक्वेट हॉल, चौथी मंजिल, विट्ठलभाई पटेल भवन,	गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	गुजरात विधान सभा, गांधीनगर	
9.	पुराना समिति कक्ष, हरियाणा विधान सभा सचिवालय,	हरियाणा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	विधान भवन, चंडीगढ़	
10.	"डॉ. वाई.एस. परमार पुस्तकालय हॉल, विधानसभा",	हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित
	शिमला	सदस्य
11.	अधिकरण कक्ष, कमरा संजीडब्ल्यू-042, झारखंड	झारखंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्य

सारणी

	विधान सभा, रांची	
12.	कमरा सं. 106, पहली मंजिल, विधान सौधा, बेंगलुरु-	कर्नाटक विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	560 233	
13.	कमरा सं. 740 (संसदीय अध्ययन हॉल), तीसरी	केरल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	मंजिल, केरल विधान सभा भवन, विधानमंडल परिसर,	
	विकास भवन डाकघर, तिरुवनंतपुरम -695 033	
14.	समिति कक्ष सं. 2, एम-02 (भूतल), इंदिरा गांधी	मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	विधान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
15.	केंद्रीय कक्ष, चौथी मंजिल, विधान भवन, बैकबे	महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	रिक्लेमेशन, मुंबई-400 032	
16.	समिति कक्ष, मणिपुर विधान सभा, चिंगमीरोंग, इंफाल,	मणिपुर विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	मणिपुर – 795 001	
17.	एनेक्सी हॉल, मेघालय विधान सभा, रिलबोंग, शिलांग	मेघालय विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
18.	समिति कक्ष, मिजोरम विधान सभा, मुख्य भवन	मिजोरम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	(द्वितीय तल), ट्रेजरी स्क्वायर, आइजोल	
19.		नागालैंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	हॉल	
20.	कमरा सं. 54 (पहली मंजिल), ओडिशा विधान सभा	ओडिशा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	भवन, भुवनेश्वर	
21.	'समिति कक्ष क', पंजाब विधान सभा सचिवालय,	पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	विधान भवन, चंडीगढ़	
22.	कमरा सं. 751, राजस्थान विधान सभा सचिवालय,	राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	जयपुर	
23.	सम्मेलन कक्ष, सिक्किम विधान सभा सचिवालय	सिक्किम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
24.	"समिति कक्ष", भूतल, मुख्य सचिवालय भवन, फोर्ट	तमिलनाडु विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	सेंट जॉर्ज, चेन्नई-600 009	
25.	समिति कक्ष सं. 1, विधानसभा भवन, सार्वजनिक	तेलंगाना विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	उद्यान, हैदराबाद, तेलंगाना	
26.	विधान सभा लॉबी, त्रिपुरा विधान सभा, अगरतला	त्रिपुरा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
27.	कमरा सं. 321, उत्तराखंड विधान सभा, देहरादून	उत्तराखंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
28.	"तिलक हॉल", विधान भवन, लखनऊ	उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
29.	पश्चिम बंगाल विधान सभा चैंबर, 'असेंबली हाउस',	पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचित
	कोलकाता	सदस्य
30.	समिति कक्ष सं. 01 (कमरा सं. 37), दिल्ली विधान	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के
	सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054	निर्वाचित सदस्य
31.	सम्मेलन हॉल, चौथी मंजिल, फेज-॥ बिल्डिंग, विधान	पुडुचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
	सभा परिसर, सं. 4, विक्टर सिमोनल स्ट्रीट, पुडुचेरी-	
	605 001	
	सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054 सम्मेलन हॉल, चौथी मंजिल, फेज-॥ बिल्डिंग, विधान सभा परिसर, सं. 4, विक्टर सिमोनल स्ट्रीट, पुडुचेरी-	निर्वाचित सदस्य

टिप्पणी :-

सामान्य तौर पर, संसद सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मत नई दिल्ली में डालें और इसी तरह, संबंधित राज्य विधान सभाओं के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मत मतदान के संबंधित स्थान पर डालें। हालांकि, विशेष परिस्थितिवश कोई अत्यावश्यकता होने की दशा में संसद सदस्य किसी भी राज्य/दिल्ली/पुडुचेरी में मतदान के किसी भी स्थान पर मतदान कर सकते हैं। इसी प्रकार, मतदान के अपने संबंधित स्थान के बजाय संसद, नई दिल्ली और किन्हीं अन्य विधान सभा में मतदान करने के इच्छुक कोई भी विधायक भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए, ऐसे निर्वाचकों को विहित फार्मेट [रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और आयोग की वेबसाइट (www.eci.gov.in) पर भी उपलब्ध] में निर्वाचन आयोग को इस तरह आवेदन करना होगा कि उनका आवेदन आयोग में मतदान की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले पहुंच जाए।

आदेश से,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया) (वरिष्ठ प्रधान सचिव)

FORM 1

(See rule 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974)

PUBLIC NOTICE

OF

ELECTION TO THE OFFICE OF PRESIDENT OF INDIA

WHEREAS a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the office of President of India has been issued by the Election Commission, I, P.C. Mody, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

- (i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No.29, Ground Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officers, Shri Mukul Pande, Officer on Special Duty (OSD)/Shri Surendra Kumar Tripathi, Joint Secretary and Chief Vigilance Officer, Rajya Sabha Secretariat at the said office between 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on any day (other than a public holiday) not later than the 29th of June, 2022;
- (ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;
- (iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of Rupees Fifteen Thousand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;
- (iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the time aforesaid;
- (v) the nomination papers, other than those rejected under subsection (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at Committee Room No.62, First Floor, Parliament House, New Delhi on Thursday, the 30th of June, 2022 at 11.00 A.M.;
- (vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of 2nd of July, 2022;
- (vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on Monday, the 18th of July, 2022 between hours of 10.00 A.M. and 5.00 P.M. at the places of polling fixed under the rules.

New Delhi Dated the 15th of June, 2022 (P.C. MODY) RETURNING OFFICER FOR THE PRESIDENTIAL ELECTION, 2022 AND SECRETARY – GENERAL RAJYA SABHA प्रारूप 1

(राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 का नियम 3 देखिए)

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की

लोक सूचना

भारत के राष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मैं पी.सी. मोदी सूचना देता हूं कि -

- (i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री मुकुल पांडे, विशेष कार्य अधिकारी अथवा श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 29 जून, 2022 तक (लोक अवकाश– दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाहन और 3 बजे अपराहन के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;
- (ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (iii) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;
- (iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वीक्त कार्यालय से पूर्वीक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;
- (v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा समिति कमरा सं. 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में, बृहस्पतिवार 30 जून, 2022 को पूर्वाहन 11 बजे की जाएगी;
- (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में 2 जुलाई, 2022 को तीन बजे अपराहन से पहले परिदत की जा सकेगी;
- (vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में **सोमवार, 18 जुलाई, 2022 को पूर्वाहन 10 बजे और अपराहन 5 बजे** के बीच होगा।

(पी.सी. मोदी) राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के लिएरिटर्निंग आफिसर और महासचिव, राज्य सभा

नई दिल्ली,

दिनांक 15 जून, 2022